पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी, अन्त के अनुसार वर्तमान खाता सं. 457 किता 04 रकबा 0.42 में दर्ज खातेदार हि. इस प्रकार है - कमला पत्नी रामचन्द्र 1/8, गोमादेवी पत्नी रामधन हि. 1/16, निरमा पत्नी भंवरलाल हि. 1/2 माया पत्नी राधाकिशन पुत्र रामचन्द्र हि. 1/8 सहित SDR शाखा श्रीनगर। जबकि वर्तमान खाता सं. 160 में दर्ज नामा सं. 76 विरासत से रामचन्द्र पुत्र गोपी की विरासत से कमला पत्नी रामचन्द्र राधाकिशन रामधन हरलाल काना पि. रामचन्द्र का अंकन स्वीकृत हुआ। पुनः वर्तमान जमाबंदी के इसी खाते में नामा सं. 134/06.09.04 द्वारा हरलाल पि. रामचन्द्र का संपूर्ण हि. जगोरा पि. जगन्नाथ का नाम स्वीकृत हुआ। चूंकि पूर्व हि. पर रामचन्द्र के विरासत व हि. 8 पर दर्ज हुए अतः प्रत्येक का 1/5 हि. होना था। जमाबंदी संवत 2011 में रामचन्द्र के स्थान पर नामा सं. 291/5/01/10 विरासत से गोमादेवी पत्नी रामधन समोगा पुत्री रामधन का अंकन स्वीकृत हुआ। संवत 2011 के पश्चात खाता सं. 16 में जगोरा/जगन्नाथ हि. 1/2 का शेष काश्तकार 1/2 हि. पर दर्ज हो गया। पुनः इसी खाता सं. 16 में 5332/13.05.24 द्वारा जगोरा/जगन्नाथ द्वारा संपूर्ण हि. विक्रय निरमा W/o भंवरलाल को किया (unauthorised) साथ ही नवीन खाता सं. 457 में नामा सं. 539/17.06.24 द्वारा गोमादेवी पुत्री रामधन काना S/o रामचन्द्र ने अपने अधिकार हि. नामा पत्नी काना को विक्रय किया। अतः वर्तमान खाता सं. 457 किता 04 रकबा 0.42 में पूर्व वर्तमान जमाबंदी खाता सं. 160 में दर्ज नामा सं. 76 विरासत द्वारा प्रत्येक का हि. 1/5 होने से, इसी खाते के नामा 134 द्वारा जगोरा/जगन्नाथ (हरलाल द्वारा क्रय) का हि. 1/5 होना था। अतः वर्तमान जमाबंदी खाता सं. 457 कि. 04 में हिस्सा वर्तमान अनुसार सही होने पर हि. अंकन होना चाहिये - कमला पत्नी रामचन्द्र हि. 1/5, गोमादेवी पत्नी रामधन हि. 1/10, निरमा पत्नी भंवरलाल हि. 1/5, माया पत्नी काना हि. 3/10 राधाकिशन पुत्र रामचन्द्र हि. 1/5 सहित SDR श्रीनगर। अतः अनुसार खाता सं. 457 किता 04 रकबा 0.42 पर हि. अंकन किया जाना प्रस्तावित है।

Nihalchi
24/09/25
पटवारी लवेरा

श्रीमान जी, संलग्न नक्शे तरमीम अनुसार नवीन खाता कमला पत्नी रामचंद्र हि. 1/5, गोमादेवी पत्नी रामधन हि. 1/10, राधाकिशन पुत्र रामचन्द्र हि. 1/5, माया पत्नी भंवरलाल हि. 3/10, निरमा पत्नी भंवरलाल हि. 1/5 दर्ज किया जाना उचित होगा।

पटवारी लवेरा
24/9/25

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं SDR यथायथावत।

शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
635

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर–2025"

क्रमांक/345

दिनांक:– 10-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरूस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्..... के खाता संख्या .....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व स्कॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	प्रकरण में इन्द्राज दुरुस्ती होने के कारण प्रकरण [illegible] जाता है।					

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 17:13:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक :– 3345 दिनांक :– 10.10.25

प्रतिलिपि :– 1. तहसीलदार नसीराबाद।
2. आदेश पत्रावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर